भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 18

सोमवार, 29 नवंबर, 2021/8 अग्रहायण, 1943(शक)

लॉकडाउन के कारण महिलाओं की नौकरी छूटना

***18. श्री बृजेन्द्र सिंह:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लॉकडाउन के कारण महिलाओं की नौकरियों के असमान रूप से बड़े पैमाने पर छूटने की जानकारी है जिनके रोजगार पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अपनी नौकरियां गंवा चुकी महिलाओं की संख्या से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना उक्त स्थिति के दृष्टिगत महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए उपाय करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

** ****

"लॉकडाउन के कारण महिलाओं की नौकरी छूटना" के संबंध में श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गए, दिनांक 29.11.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): श्रम ब्यूरो को अखिल भारतीय तिमाही प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के एक घटक के रूप में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) कराने का कार्य सौंपा गया है। पहली तिमाही (अप्रैल-मई-जून, 2021) के दौरान कराया गया तिमाही रोजगार सर्वेक्षण भी चयनित 9 क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की परिचालन स्थिति और रोजगार की स्थिति पर कोविड -19 महामारी के प्रभाव की जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लॉकडाउन अवधि के दौरान पुरुष और महिला कर्मचारियों पर प्रभाव का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ): सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य माहौल के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक उपबंध शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से शिशुगृह सुविधा का प्रावधान, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ महिला कर्मचारियों को रात्री पाली में कार्य करने की अनुमति देना आदि शामिल हैं।

सरकार ने खुली खानों सहित भूमि के ऊपर की खानों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य तथा भूमिगत खानों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के मध्य तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, महिलाओं के नियोजन को अनुमति देने का निर्णय लिया है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, अब वेतन संहिता, 2019 में समामेलित हो गया है, जिसमें यह उपबंधित है कि एक ही नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कोई भी नियोक्ता समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी कर्मचारी को भर्ती करते समय रोजगार की शर्तों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सिवाय इसके कि ऐसे काम में महिलाओं का नियोजन उस समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा अथवा उसके अंतर्गत निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित है।

इसके अतिरिक्त, महिला श्रमिकों की रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए, सरकार उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सरकार राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजनाओं को राष्ट्रीय रोजगार सेवा में परिवर्तन के लिए एक मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित कर रही है जहां विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं जैसे नौकरी की खोज, जॉब मैचिंग, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी इत्यादि सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के साथ एक साझा मंच पर एनसीएस परियोजना के तहत प्रदान की जा रही हैं।

1 अक्टूबर, 2020 से शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) स्कीम नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एबीआरवाई के अंतर्गत, सरकार कर्मचारी के हिस्से (मजदूरी का 12%) और नियोक्ता के हिस्से (मजदूरी का 12%) दोनों को या ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की नियोजन संख्या के आधार पर केवल कर्मचारी के हिस्से को दो वर्ष की अवधि के लिए जमा कर रही है। एबीआरवाई के अंतर्गत, 81,770 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 5.70 लाख महिला लाभार्थियों सहित 22 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। सरकार ने एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 9 महीने अर्थात् 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 करने की मंजूरी दे दी है।

अनुबंध

"लॉकडाउन के कारण महिलाओं की नौकरी छूटना" के संबंध में श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गए, दिनांक 29.11.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर क्षेत्र-वार प्रभाव

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**कर्मचारियों की संख्या (लाख में)**			
		लॉकडाउन से पहले (25 मार्च, 2020 से पहले)		**1 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार**	
		पुरुष	**महिला**	**पुरुष़**	**महिला**
1.	विनिर्माण	98.7	26.7	87.9	23.3
2.	निर्माण	5.8	1.8	5.1	1.5
3.	व्यापार	16.1	4.5	14.8	4
4.	परिवहन	11.3	1.9	11.1	1.9
5.	शिक्षा	38.2	29.5	36.8	28.1
6.	स्वास्थ्य	15	10.6	14.8	10.1
7.	आवास और रेस्तरां	7	1.9	6.2	1.7
8.	आईटीबीपीओ/	13.6	6.3	12.8	6.1
9.	वित्तीय सेवाएं	11.5	5.9	11.3	5.7
कुल		**217.8**	**90.0**	**201.5**	**83.3**

टिप्पणी: **'कुल'** पंक्ति की संख्या में सर्वेक्षण के दौरान पाए गए 66 प्रतिष्ठानों के आंकड़े भी शामिल हैं जो नौ चयनित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 305

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक)

विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां छूटना

***305. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के छूटने के बारे में कोई आधिकारिक और प्रामाणिक सूचना उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस प्रकार नौकरियों के छूटने के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या वस्त्र, बैंकिंग, अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी और असंगठित क्षेत्र भी नौकरियों के छूटे जाने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के छूटने की समस्या का कारगर समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यनीतियां बनाई गई हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

** ****

विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां छूटना संबंध में श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पूछे गए दिनांक 20.12.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *305 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा अप्रैल से जून 2021 की अवधि के लिए कराए गए अखिल भारतीय तिमाही प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण के भाग के रूप में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के पहले चरण के परिणाम के अनुसार, छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में दी गई रिपोर्ट के अनुसार 29% की वृद्धि दर दर्शाते हुए सामूहिक रूप से लिए गए अर्थव्यवस्था के नौ चयनित क्षेत्रों में रोजगार में कुल 2.37 करोड़ की वृद्धि की तुलना में इन क्षेत्रों में 3.08 करोड़ (लगभग) की बढ़ोतरी हुई। आईटी/बीपीओ क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली वृद्धि 152 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि स्वास्थ्य में वृद्धि दर 77 प्रतिशत, शिक्षा में यह 39 प्रतिशत, विनिर्माण में 22 प्रतिशत, परिवहन में 68 प्रतिशत तथा सन्निर्माण में यह 42 प्रतिशत रही। कोविड-19 महामारी के दौरान नौ चयनित क्षेत्रों में नौकरियों और प्रतिष्ठानों पर प्रभाव के संबंध में सूचना भी अप्रैल से जून 2021 के दौरान कराए गए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) द्वारा हाल ही में ली गई है। प्रमुख 9 क्षेत्रों के अंतर्गत कवर किए गए अनुमानित प्रतिष्ठानों जिनमें वस्त्र, बैंकिंग, आईटी, आदि जैसी उप-क्षेत्रीय गतिविधियां शामिल हैं, का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण, लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर प्रभाव दर्शाते हुए **अनुबंध** में दिया गया है।

भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने तथा रोजगार के सृजन के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 से आरंभ करते हुए विनिर्माण के 13 मुख्य क्षेत्रों, जिनमें 3 क्षेत्र पहले से ही विद्यमान हैं नामत: (i) मोबाइल विनिर्माण एवं विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक, (ii) महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्रियां/औषध मध्यवर्ती संस्थाएं एवं सक्रिय फार्मास्यूटिकल संघटक, (iii) चिकित्सीय यंत्रों का विनिर्माण, हेतु उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई है। 10 नए मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं: (i) ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक, (ii) फार्मास्यूटिकल औषधियां, (iii) स्पेशिएलिटी स्टील, (iv) टेलीकॉम एवं नेटवर्किंग उत्पाद, (v) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (vi) श्वेत पदार्थ (एसी और एलईडी), (vii) खाद्य उत्पाद, (viii) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ खण्ड और तकनीकी वस्त्रोद्योग, (ix) उच्च कार्यक्षमता सौर पीवी मॉड्यूल, तथा (x) उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी। एक अन्य क्षेत्र, ड्रोन और ड्रोन संघटकों के लिए पीएलआई योजना भी अनुमोदित की गई है। पीएलआई योजनाओं की घोषणा के साथ, अगले 5 वर्षों और इसके बाद भी उत्पादन, रोजगार, और आर्थिक विकास का व्यापक सृजन अपेक्षित है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है । देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस पैकेज में विभिन्न दीर्घावधिक योजनाएं / कार्यक्रम /नीतियां शामिल हैं। सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं नीचे दी गई हैं:

(i) सरकार द्वारा स्व-रोजगार की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को क्रियान्वित किया जा रहा है। पीएमएमवाई के अंतर्गत 10 लाख रूपये तक के संपार्श्वमुक्त ऋणों का विस्तार सूक्ष्म /लघु व्यापार उद्यमों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों तक किया जाता है ताकि वे अपनी व्यापारिक गतिविधियों की स्थापना और विस्तार करने में सक्षम हो सकें। इस योजना के अंतर्गत, नवंबर, 2021 तक 31.28 करोड़ रुपये के ऋण संस्वीकृत किए गए थे।

(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक प्रमुख क्रेडिट-सहबद्ध अनुदान कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है।

(iii) सरकार ने 125 दिनों वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) का शुभारम्भ 20 जून, 2020 को किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों के लौटने वाले प्रवासी कामगारों और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। इस अभियान से कुल 39,293 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 50.78 करोड़ व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजन किया गया है।

(iv) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का शुभारम्भ नियोक्तओं को सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर सृजित करने और कोविड -19 महामारी के कारण हुई रोजगार की क्षति से उबारने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 01 अक्तूबर, 2020 को किया गया था। दिनांक 20.22.2021 की स्थिति के अनुसार, 1.15 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.43 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

(v) शहरी क्षेत्रों पर ध्यान-केन्द्रित करने के लिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीए-निधि) योजना का शुभारम्भ दिनांक 01 जून, 2020 को किया गया था ताकि शहरी क्षेत्रों में फेरी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 के दौरान लगायी गई तालाबंदी के कारण बुरी तरह प्रभावित उनके व्यवसायों को पुन: आरंभ करने के लिए 10,000/- रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके।

अनुबंध

"विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां छूटना" के संबंध में श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पूछे गए दिनांक 20.12.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *305 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

लॉकडाउन की अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव

क्रम सं.	क्षेत्र	लॉकडाउन के दौरान क्रियाशील यूनिटें (%)	कर्मचारियों की संख्या (लाख में)			
			लॉकडाउन से पहले (25 मार्च, 2020 से पहले)		1 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	विनिर्माण	30.4	98.7	26.7	87.9	23.3
2.	सन्निर्माण	31.3	5.8	1.8	5.1	1.5
3.	व्यापार	28.5	16.1	4.5	14.8	4
4.	परिवहन	44	11.3	1.9	11.1	1.9
5.	शिक्षा	23.5	38.2	29.5	36.8	28.1
6.	स्वास्थ्य	88.9	15	10.6	14.8	10.1
7.	आवास एवं रेस्तरां	28	7	1.9	6.2	1.7
8.	आईटी/बीपीओ	35.2	13.6	6.3	12.8	6.1
9.	वित्तीय सेवाएं	71.6	11.5	5.9	11.3	5.7
कुल		**34.2**	**217.8**	**90.0**	**201.5**	**83.3**

नोट: **"** 'कुल' की पंक्ति में दी गई संख्या में सर्वेक्षण के दौरान पाए गए उन 66 प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है जो नौ चयनित क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों से संबंधित हैं**"**।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 13

सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/08 अग्रहायण, 1943 (शक)

गिग/असंगठित/प्लेटफार्म कामगारों का संरक्षण

13. श्री पिनाकी मिश्रा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गिग/असंगठित/प्लेटफार्म कामगारों का संरक्षण तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु कोई कानून/दिशानिदेश/नियम/विनियम विद्यमान हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विवादों की संहिता के अंतर्गत प्लेटफार्म/गिग कामगारों को शामिल करने का है तथा यदि हां, तो प्रारूप उपबंधों का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत गिग/असंगठित/प्लेटफार्म कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा अधिकारों पर योजनाएं लाने का निर्णय किया है तथा यदि हां, तो इसे लाने की संभावित तिथि सहित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा (यूडब्लूएसएस) अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को (i) जीवन एवं असक्तता कवर (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाएं बनाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।

गिग तथा प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण सुविधा उपलब्ध करने हेतु मार्च, 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) नामक पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत, स्व-नियोजित कामगार सहित कोई भी कामगार सदस्य बन सकता है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मासिक रूप से 3000 रू. की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराता है। यह लाभार्थी तथा केंद्र सरकार के बीच 50:50 के आधार पर साझा होने वाली स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है तथा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं।

(ख) एवं (ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, गिग तथा प्लेटफॉर्म कामगारों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाकर उपलब्ध कराती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 43

सोमवार, 29 नवंबर, 2021 / 8 अग्रहायण, 1943 (शक)

गिग श्रमिक

43. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत में गिग (अस्थाई/अल्पकालिक) श्रमिकों की संख्या से संबंधित राज्य-वार आंकड़े हैं तथा यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस तरह के आंकड़े एकत्र करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा नवंबर, 2021 तक लागू किए गए प्रावधानों और कार्यान्वयन के लिए लंबित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में निर्धारित गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, और

(घ) क्या सरकार का गिग श्रमिकों को राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी कवर के तहत लाने का विचार है या गिग श्रमिकों के लिए एक अलग, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों से संबंधित उपबंध पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रस्तावित किए गए हैं। 'श्रम' समवर्ती सूची में शामिल है तथा श्रम संहिताओं के तहत नियमों को केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी निर्मित किया जाना अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार सभी श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने हेतु राज्य सरकारों के संपर्क में है। केन्द्रीय सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (केन्द्रीय) नियम, 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता (कर्मचारी का मुआवज़ा) (केन्द्रीय) नियम, 2021 को सार्वजनिक परामर्श के लिए पूर्व-प्रकाशित किया है। गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों से संबंधित प्रावधान लागू नहीं हुए हैं।

(घ): मजदूरी संहिता, 2019 में यह परिकल्पित है कि सभी श्रमिक, चाहे वे संगठित क्षेत्र में हों अथवा असंगठित क्षेत्र में, न्यूनतम मजदूरी के हकदार होंगे। इसमें अन्य बातों के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण विभिन्न मजदूरी अवधि के लिए नामतः घंटेवार, दैनिक अथवा मासिक आधार पर कार्य समय आधार पर किए जाने का उपबंध है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 56

सोमवार, 29 नवम्बर, 2021 / 8 अग्रहायण, 1943 (शक)

बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी कंपनियों के कर्मचारियों की छंटनी

56. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-19 के समय से लेकर अब तक देश में बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियों के कर्मचारियों की अनियमित छंटनी हुई है;

(ख) यदि हां तो, कोविड-19 के दौरान अर्थात् अप्रैल 2020 से लेकर अब तक कर्मचारियों के निलंबन और निष्कासन के संबंध में मासिक रिपोर्ट और डाटा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारी की नौकरी और उन्हें मिलने वाली सुविधाएं यथावत रखने के लिए उक्त एजेंसियों के साथ-साथ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस पर उक्त एजेंसियों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पर्यवेक्षण में केन्द्रीय क्षेत्र में कामगारों द्वारा की गई शिकायतों/परेशानी में किए गए कॉलों के निराकरण के लिए देश भर में 20 क्षेत्रवार नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार कोविड-19 की अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में छंटनी से संबंधित कुल 1999 विवाद के मामले थे जिन्हें शिकायत स्तर पर निपटाया गया। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की मध्यस्थता के माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार 4337 कामगारों को पुन: नियोजित किया गया और 72 कामगारों को समुचित प्रतिपूर्ति प्रदान की गई।

(ग) और (घ): सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीमएजीकेवाई) का शुभारंभ किया है जिसमें कम आय वाले ईपीएफ सदस्यों के रोजगार में व्यवधान को रोकने हेतु नियोक्तओं के लिए 100

कर्मचारियों के नियोजन वाले प्रतिष्ठानों के ऐसे कर्मचारियों के 90 प्रतिशत के लिए मार्च, 2020 से अगस्त, 2020 के मजदूरी माह हेतु नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों के हिस्से (मजदूरी का 24 प्रतिशत) का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है, जिससे 2.63 लाख प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ताकि 38.91 लाख कम आय वाले ईपीएफ सदस्यों को नियोजित रखा जा सके और 2567.19 करोड़ की राशि का लाभ उनके खातों में जमा किया जा सके।

दिनांक 12.11.2020 को केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का शुभारम्भ 01.10.2020 को किया था ताकि कोविड सुधार के चरण में ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन को कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं दोनों के अंशदान अर्थात् 1000 हजार तक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी के 24 प्रतिशत तथा 1000 हजार से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी के 12 प्रतिशत का अंशदान प्रदान करते हुए प्रोत्साहित किया जा सके। नए कर्मचारी 01.10.2020 से 31.03.2022 तक ईपीएफओ से जुड़ने वाले वैसे कर्मचारी हैं जिनकी मासिक मजदूरी 15000/- रुपये से कम है और जिसमें ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों से पहली बार जुड़ने वाले कर्मचारी तथा वैसे ईपीएफ के सदस्य जो 01.03.2020 से 30.09.2020 के दौरान महामारी के कारण अपना रोजगार खो चुके हैं, दोनों शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के भाग के रूप में 27 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीए- निधि) योजना का शुभारम्भ 01 जून, 2020 को किया गया था ताकि शहरी क्षेत्रों में फेरी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडरों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके और कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित उनके व्यवसायों को पुन: संचालित किया जा सके।

सरकार ने 125 दिनों वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) का शुभारम्भ 20 जून, 2020 को किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों के लौटने वाले प्रवासी कामगारों और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही बेरोजगारी लाभ को लाभ के दावे के लिए पात्रता की शर्तों में छूट के साथ-साथ 90 दिनों के लिए भुगतान की जाने वाली औसत मजदूरी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्व-रोजगार की सुविधा शामिल है। पीएमएमवाई के अंतर्गत 10 लाख रूपये तक के संपार्श्वमुक्त ऋणों का विस्तार सूक्ष्म/लघु व्यापार उद्यमों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों तक किया जाता है ताकि वे अपनी व्यापारिक गतिविधियों की स्थापना और विस्तार करने में सक्षम हो सकें।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई और भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में और अधिक तरलता लाने के लिए अनेक उपाय आरंभ किए हैं तकि बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखा जा सके और रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सके।

सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसेकि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पुनरोद्धार एवं शहरी परिवर्तन अभियान, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास और औद्योगिक कोरिडोर्स तथा उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को उत्पादक रोजगार के अवसरों के लिए सृजनोन्मुख बनाया जा रहा है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 93.

सोमवार, 29 नवम्बर, 2021 / 8 अग्रहायण, 1943 (शक)

प्रवासी मजदूर संबंधी धनराशि का उपयोग

93. श्री बंदी संजय कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के उपयोग के लिए धनराशि स्वीकृत की थी और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) तेलंगाना सरकार को जारी की गई तथा उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तेलंगाना सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के उद्देश्यों के लिए नियत धनराशि का अन्य योजनाओं में विपथन किया गया है, और यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): प्रवासी कामगार विभिन्न व्यवसायों में कार्य करते हैं। प्रवासी कामगारों सहित ऐसे व्यवसायों में कार्यरत कामगारों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं हैं। तथापि, कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कामगारों के लाभ के लिए कई अतिरिक्त उपाय किए हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत ईपीएफ खातों में 2583 करोड़ रुपये जमा करके 39.51 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत 38.91 लाख कम वेतन वाले कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए 2567 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करना, भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) को 7413 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) ने 39,293 करोड़ रुपये के साथ 50.78 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया, पीएम-एसवीए निधि योजना के अंतर्गत फेरीवालों को कार्यशील पूंजी ऋण और सभी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न आदि। तेलंगाना के संबंध में, एबीआरवाई के अंतर्गत 1.84 लाख कामगारों को लाभान्वित करने वाले 102.66 करोड़ रुपये और पीएमजीकेवाई के अंतर्गत 1.73 लाख कामगारों को लाभान्वित करने वाले 102.69 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। इसके अलावा, तेलंगाना बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा 8.30 लाख निर्माण कामगारों के लिए 124.55 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(ग):ऐसे किसी विपथन की रिपोर्ट नहीं मिली है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 125

सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/08 अग्रहायण, 1943 (शक)

निजी क्षेत्र में नौकरियां जाना

125. श्री दीपक बैज:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कोरोना और लॉकडाउन के कारण निजी क्षेत्र में अपनी नौकरी गंवाने वाले कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बाद नौकरी पाने में सफल होने वाले कामगारों की संख्या कितनी है; और

(ग) तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) द्वारा संगठित क्षेत्र के लिए प्रति माह प्रकाशित आधार विधिमान्य सार्वभौमिक खाता संख्या के आधार पर पेरोल डेटा के अनुसार, 97.83 लाख अभिदाता ईपीएफओ प्रतिष्ठानों से बाहर हो गए थे जबकि 89.43 लाख अभिदाता जो पहले ही बाहर हो चुके थे, उन्होनें वर्ष 2020-21 के दौरान ईपीएफओ प्रतिष्ठानों में पुनः कार्य ग्रहण कर लिया। ईपीएफओ के पेरोल डेटा यह भी दर्शाते हैं कि वर्ष 2020-21 के दौरान, 85.49 लाख नए अभिदाताओं ने ईपीएफओ प्रतिष्ठानों में कार्य ग्रहण किया। निवल पेरोल डाटा को ध्यान में रखते हुए, 2020-21 के दौरान 77.08 लाख निवल अभिदाता जोड़े गए। तथापि, बाहर होने की ये घटनाएं कोविड महामारी और/या लगाए गए लॉकडाउन के कारण नौकरी चले जाने की वजह से नहीं हुई हैं क्योंकि यह नए और दोबारा अभिदत सदस्यों के जुडने से स्पष्ट होता है।

(ग): ईपीएफओ पेरोल शीर्ष दस प्रकार के उद्योग के लिए नए अभिदाताओं, अभिदाताओं के बाहर हो जाने और पहले से बाहर हो चुके अभिदाताओं के पुनः कार्यग्रहण करने के आंकडे प्रकाशित करता है, जिन्हे ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत कवरेज हेतु अधिसूचित किया जाता है, परंतु क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 201
सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)

प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

201. **श्री कृपाल बालाजी तुमानेः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेताएं क्या है और उक्त योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में अब तक इस योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या तथा इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों तथा इस पर प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, वे भी लाभ के लिए पात्र हैं।
- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन 2 वर्ष के लिए कर रही है।
- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान कर रही है।

योजना के तहत निधियों का कोई विशिष्ट राज्य-वार लक्ष्य या आवंटन नहीं है। इस योजना के तहत सभी पात्र प्रतिष्ठानों को लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 20.11.2021 को, इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में 17,368 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 6.45 लाख कर्मचारियों को 404.42 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।

नियोक्ता और नियोक्ता संघों तथा कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों-दोनों के साथ सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई है। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ भी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस योजना का प्रचार कर रहा है। इसके अलावा, कवरेज बढ़ाने के लिए, लाभार्थियों का पंजीकरण, जो कि आरंभ में केवल 30.06.2021 तक था, को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 219

सोमवार, 29 नवम्बर, 2021 / 8 अग्रहायण, 1943 (शक)

लॉकडाउन के कारण घर से कार्य करना

219. श्री सी.पी. जोशी:
श्री रोड़मल नागर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान लॉकडाउन के कारण घर से काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से नियोक्ता संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या उन कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक काम करने के लिए बाध्य किया गया है;

(ग) क्या घर से काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, सुविधाओं या अन्य प्रकार के मानदेय में कटौती की गई है तथा यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) घर से काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किस तरह से निगरानी की जा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): ऐसा कोई विशिष्ट डेटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, सरकार ने महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए अनेक पहलें की हैं। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्राप्त शिकायतों/परिवादों का समाधान करने के लिए, इस मंत्रालय ने मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पर्यवेक्षण में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे। इसके अलावा, सरकार ने वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान कामगारों, विशेष रूप से कामकाजी नर्सिंग माताओं, के हित की रक्षा करने के लिए, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के उपबंधों को दोहराते हुए, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 5(5) के अंतर्गत नर्सिंग माताओं के लिए घर से काम करने की अनुमति हेतु समर्थकारी उपबंध के अंतर्गत नर्सिंग माताओं के लिए घर-से-काम को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 01.06.2021 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों को एक परामर्शिका जारी की थी।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1206

सोमवार, 06 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)

महामारी के दौरान गई नौकरियां

1206. श्री एस.आर.पार्थिबन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले नागरिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्षेत्र-वार यानी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर नौकरी गंवाने वाले नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ग) रोजगार के क्षेत्र अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक, और तृतीयक के आधार पर अपनी नौकरी गंवाने वाली महिलओं की संख्या कितनी है;

(घ) अपनी नौकरी गंवाने के बाद कार्यबल में फिर से प्रवेश करने वाले नागरिकों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उन महिलाओं की संख्या कितनी है, जिन्होंने अपनी नौकरी गंवाने के बाद कार्यबल में फिर से प्रवेश किया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो को अखिल भारतीय तिमाही प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। पहली तिमाही के दौरान (अप्रैल-मई-जून,2021) कराए गए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण को इस प्रकार तैयार किया गया था जिससे कि कोविड-19 महामारी का प्रभाव चयनित 9 क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के प्रचालन की स्थिति और नियोजन की स्थिति पर का प्रभाव संबंधी सूचना संग्रहित की जा सके। महामारी की अवधि के दौरान महिला कर्मचारियों सहित कर्मचारियों पर पड़ने वाला प्रभाव अनुबंध में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) प्रत्येक माह संगठित क्षेत्र से जुड़े सार्वभौमिक खाता संख्या द्वारा वैधीकृत आधार पर पे-रोल डेटा प्रकाशित करता है। पे-रोल डेटा के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान अंश्दान बंद करने वाले पुरूष तथा महिला सदस्यों की संख्या 77.59 लाख और 20.21 लाख है, जबकि ऐसे पुरूष तथा महिला अभिदाताओं की संख्या जो पुन: शामिल हुए तथा जिन्होंने समान अवधि के दौरान पुन: अंशदान किया उनकी संख्या 74.59 लाख तथा 14.74 लाख है। ऐसे नए पुरूष तथा महिला ईपीएस अंशदाता जो समान अवधि के दौरान संगठन से जुड़े उनकी संख्या क्रमश: 66.03 लाख और 19.45 लाख है।

*

****

अनुबंध

दिनांक 06.12.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1206 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

लॉकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्र-वार प्रभावित कर्मचारियों की संख्या (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक)

क्रम संख्या	**क्षेत्र**	**कर्मचारियों की संख्या (लाख में)**			
		लॉकडाउन से पूर्व (25 मार्च, 2020 से पूर्व)		**1 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार**	
		पु.	**म.**	**पु.**	**म.**
1.	उत्पादन	98.7	26.7	87.9	23.3
2.	निर्माण	5.8	1.8	5.1	1.5
3.	व्यापार	16.1	4.5	14.8	4
4.	परिवहन	11.3	1.9	11.1	1.9
5.	शिक्षा	38.2	29.5	36.8	28.1
6.	स्वास्थ्य	15	10.6	14.8	10.1
7.	आवास और रेस्टोरेंट	7	1.9	6.2	1.7
8.	आईटी/बीपीओ	13.6	6.3	12.8	6.1
9.	वित्तीय सेवाएं	11.5	5.9	11.3	5.7
कुल		**217.8**	**90.0**	**201.5**	**83.3**

टिप्पणी:

1. 'कुल' स्तंभ में दर्शायी गई संख्या को 66 प्रतिष्ठानों के सर्वेक्षण के दौरान ध्यान में रखा गया जो 9 चयनित क्षेत्रों से इतर अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं।

2. पु.- पुरूष ; म.- महिला.

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1223
सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण,1943 (शक)

वित्तीय सहायता

1223. श्री मलूक नागरः
श्री संजय भाटियाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कोविड-19 के कारण बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतियां तैयार की गई हैं;

(ख) क्या सरकार के पास बेरोजगारी संबंधी डाटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोविड से प्रभावित हुए व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई नए कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पेंशन-लाभों के अलावा कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जाते हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 6.0%, 5.8% एवं 4.8% है।

हाल ही में सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल- भारतीय तिमाही संस्थान आधारित सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) प्रारंभ किया है। अप्रैल से जून 2021 की अवधि हेतु तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के प्रथम दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में 3.8 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि यह छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में यथा रिपोर्टित सामूहिक रूप से लिए गए इन नौ क्षेत्रों में कुल 2.37 करोड़ थी जो कि 29 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। 152 प्रतिशत की सर्वाधिक प्रभावी वृद्धि आईटी/बीपीओ क्षेत्र में दर्ज की गई है, जबकि स्वास्थ्य में वृद्धि दर 77 प्रतिशत, शिक्षा में यह 39 प्रतिशत, विनिर्माण में यह 22 प्रतिशत, परिवहन में यह 68 प्रतिशत तथा निर्माण में यह 42 प्रतिशत रही है।

कोविड-19 महामारी ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। सरकार ने महामारी से उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

सरकार आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु वेतन का कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार की सुरक्षा करने में सहायता मिली है।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था, ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन के 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि **90** दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, नवीकरण और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक एवं धारणीय रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) की सहायता के लिए अपनी फ्लैगशिप योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों के नवीन कौशल (अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)) और अपस्किलिंग (पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल)) के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। इस विशेष कार्यक्रम में 6 राज्यों नामतः असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों को शामिल किया गया है। एमएसडीई ने जिला प्रशासन के सहयोग से वापसी करने वाले प्रवासियों की कौशल मैपिंग की है और पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण के लिए लाभार्थियों की पहचान की है।

सरकार ने विभिन्न केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 में सरलीकृत, समामेलित एवं युक्तिसंगत किया है, जो निवेश को प्रोत्साहन देगा और इस प्रकार और अधिक उद्यमों की स्थापना को उत्प्रेरित करेगा जिससे देश में रोजगार के अवसरों का सृजन हो।

(ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कामगारों के आश्रितों को पेंशन और बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत योजनाओं के सदस्य थे। उन्हें (विधवा/बच्चे/अनाथ/नामित/अभिभावक) सांविधिक प्रावधानों के अनुसार पेंशन और बीमा लाभ का भुगतान किया गया भले ही मृत्यु कोविड-19 या अन्य किसी कारण से हुई हो ।

अप्रैल, 2020 से अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान आश्रितों (विधवा/बच्चों/अनाथ/ नामांकित/अभिभावकों) को पेंशन और बीमा लाभों के रूप में राहत का भुगतान निम्नानुसार किया गया:

1.(क) सदस्य की मृत्यु के कारण पेंशन प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या - 1,55,886
(ख) ऐसे आश्रितों को भुगतान की गई पेंशन की राशि - 564.72 करोड़ रुपये
2. (क) बीमा लाभार्थियों की कुल संख्या - 72,181
(ख) ऐसे आश्रितों को भुगतान की गई बीमा राशि - 2003.87 करोड़ रुपए

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1236

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021 / 15 अग्रहायण, 1943 (शक)

क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय को किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाना

1236. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोई जानकारी है कि जंगीपुर क्षेत्र के बीड़ी कामगार, क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय के सबसे बड़े अंशदानकर्ता हैं;

(ख) जंगीपुर क्षत्रीय पीएफ कार्यालय को जंगीपुर से रातों-रात बहरामपुर ले जाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बीड़ी कामगारों के लाभार्थ क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय को जंगीपुर ले जाने की मांग पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): जनवरी से अक्टूबर, 2021 के अवधि के दौरान बहरामपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कुल 3,76,368 अंशदायी सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) थीं, जिसमें से 3,35,128 बीड़ी बनाने वाले कामगारों से संबंधित थीं। अक्टूबर, 2021 के महीने में जंगीपुर में 2,15,910 अंशदायी यूएएन थे। जंगीपुर सदर, कांडी, लालबाग़ और डोमकाल के अलावा मुर्शिदाबाद जिले के पांच उप-मंडलों में से एक है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के बहरामपुर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है। बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिले का जिला मुख्यालय भी है।

(ख) से (घ): क्षेत्रीय कार्यालय, जंगीपुर का भवन एक निजी भवन में किराए पर कार्य कर रहा था और उस भवन को राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के उद्देश्य से तोड़ने के लिए चिह्नित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जगह की भी कमी थी। अंचल कार्यालय, ईपीएफओ ने अपने दिनांक 12.01.2017 के पत्र द्वारा बहरामपुर नगर पालिका भवन को किराए पर लेने की सिफारिश की, जिसे ईपीएफओ द्वारा 21.04.2017 को अनुमोदित किया गया था।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1244

सोमवार, 06 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)

चाय बागान श्रमिक

1244. श्री एंटो एन्टोनी:
श्री प्रद्युत बोरदोलोई:
श्री राजू बिष्ट:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय बागान श्रमिकों की संख्या का आंकड़ा रखती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य, जिले और लिंग के आधार पर तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने असम में कोविड-19 के चाय बगान श्रमिकों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की कोविड -19 के आलोक में चाय बागान के श्रमिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने की मंशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार को चाय बागान के श्रमिकों को उक्त आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर-पूर्व में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार की इस पर प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या कई चाय बागान मालिक, विशेषरूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और अलीपुरद्वार और जलपाईगुडी जिलों में कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की बकाया राशि का भुगतान नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो चूक करने वाली चाय बागान इकाईयों का विवरण और इन चूककर्ताओं के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): चाय बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 के दौरान किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय बागान कामगारों का राज्य, जिला और लिंग-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ङ): चाय बोर्ड सभी चाय प्रसंस्करण इकाइयों से चाय संबंधी आंकड़े (ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) एकत्र करता है और विभिन्न चाय संबंधी आंकड़ों को जारी करने के लिए डेटा संकलित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर चाय बोर्ड के अधिकारी की उपस्थिति चाय हितधारकों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करती है। इस संबंध में अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है परंतु एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने और कार्य योजना तैयार करने हेतु किया गया था। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और इस संबंध में तैयार मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए लगभग सभी प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में चाय बागानों, चाय प्रसंस्करण इकाइयों, नीलामी केंद्रों, लॉजिस्टिक्स आदि के सामान्य कामकाज के लिए प्रयास किए गए।

(च): देश में चाय उत्पादन करने वाले राज्यों के चाय बागान कामगारों के लिए दिनांक 31.03.2021 तक विस्तारित की गई मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) अवधि (2017-2020) के दौरान कार्यान्वित "चाय विकास और संवर्धन योजना" के अंतर्गत चाय बोर्ड ने अपने मानव संसाधन विकास (एचआरडी) घटक के माध्यम से चाय बागान कामगारों के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत चाय बागान कामगारों और उनके बच्चों /आश्रितों के जीवन और जीवनदशाओं में सुधार करना है।

कामगारों के स्वास्थ्य और आरोग्य व्यवस्था में सुधार: अस्पतालों (चाय बागान अस्पताल नहीं)/ चाय बागान क्षेत्रों के निकट स्थित चिकित्सा क्लीनिक के लिए उपचार सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा उपकरण, सहायक उपकरण और एम्बुलेंस की खरीद और बिस्तरों के आरक्षण के लिए पूंजीगत अनुदान, स्पेशलिटी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों/ कैंसर/ हृदय रोगियों/ गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए वित्तीय सहायता।

श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा: चाय बागान कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षिक वृत्तिका, चाय बागान कामगारों के बच्चों के लिए नेहरू अवार्ड की विशेष योजना, विशेष रूप से बंद चाय बागानों या गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बागानों में चाय बागान कामगारों के जरूरतमंद और योग्य बच्चों को पुस्तक और स्कूल यूनीफॉर्म अनुदान के लिए योजना, चाय उत्पादक राज्यों में भारत स्काउट और गाइड को वित्तीय सहायता।

कामगारों और उनके आश्रितों के कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना: चाय बागान कामगारों के बच्चों और आश्रितों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(छ): चाय बागानों सहित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों के नियोक्ता को अपने सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करना होगा और वेतन माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

ईसीआर दाखिल न करने की स्थिति में, नियोक्ताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से बकाया राशि भेजने के लिए सूचित किया जाता है और यदि अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ई-निरीक्षणों के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। प्रतिष्ठान द्वारा ई-निरीक्षण का जवाब न देने पर, प्रतिष्ठानों के अभिलेखों का निरीक्षण करने और ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा भुगतान में चूक की राशि का आकलन करने और मूल्यांकन की गई बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है। ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14 ख के अंतर्गत देय राशि के भुगतान में जानबूझकर चूक के लिए दंडात्मक हर्जाना लगाया जाता है।

अनुपालन सुनिश्चित होने तक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है।

चूक करने वाली चाय बागान इकाइयों का विवरण (जिला-वार) निम्नानुसार है:

जिला का नाम	चूककर्ता चाय प्रतिष्ठानों की संख्या
दार्जिलिंग	59
अलीपुरद्वार	14
जलपाईगुड़ी	11

कर्मचारी को मासिक अंशदान की प्राप्ति या गैर-प्राप्ति संबंधी एसएमएस अलर्ट प्रत्येक महीने मिलता है। नियोक्ता द्वारा किसी भी चूक के मामले में, संबंधित कर्मचारी या उनकी यूनियनों के पास ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल ईपीएफआईजीएमएस पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा है, जो उमंग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है।

*

*****

अनुबंध

"चाय बागान श्रमिक" के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी, श्री प्रद्युत बोरदोलोई, श्री राजू बिष्ट द्वारा पूछे गए दिनांक 06.11.2021 के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1244 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य	जिला	स्थायी			अस्थायी			कुल		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग	115	114	229	540	596	1136	655	710	1365
	पूर्व सियांग	95	122	217	121	302	423	216	424	640
	लोंगडिंग	22	24	46	40	60	100	62	84	146
	लॉअर दीपांग घाटी	136	150	286	32	153	185	168	303	471
	लॉअर सुबनसिरी	7	28	35	15	5	20	22	33	55
	नमसाई	0	0	0	154	306	460	154	306	460
	पापुम पारे	10	11	21	10	19	29	20	30	50
	तिराप	39	39	78	104	86	190	143	125	268
	अपर सिआंग	0	0	0	20	30	50	20	30	50
	पश्चिम सियांग	30	22	52	105	25	130	135	47	182
असम	बक्सा	1371	2295	3666	892	1245	2137	2263	3540	5803
	बिश्वनाथ	7269	8743	16012	5408	10822	16230	12677	19565	32242
	बोंगईगांव	159	151	310	170	480	650	329	631	960
	कछार	12476	12678	25154	7389	10333	17722	19865	23011	42876
	चरादेओ	12290	12052	24342	11144	17137	28281	23434	29189	52623
	दरांग	740	864	1604	541	1139	1680	1281	2003	3284
	धुबरी	639	494	1133	930	1466	2396	1569	1960	3529
	डिब्रूगढ़	31664	32220	63884	20693	38912	59605	52357	71132	123489
	दीमा हसाओ	73	73	146	86	110	196	159	183	342
	गोलपाड़ा	182	191	373	88	306	394	270	497	767
	गोलाघाट	15691	17632	33323	8728	15206	23934	24419	32838	57257
	हैलाकांडी	3662	3251	6913	2616	3083	5699	6278	6334	12612
	जोरहाट	18236	19936	38172	7797	12991	20788	26033	32927	58960
	कामरूप	175	184	359	379	533	912	554	717	1271
	कार्बी एंग्लोंग	529	683	1212	536	1060	1596	1065	1743	2808
	करीमगंज	4534	4265	8799	1802	2181	3983	6336	6446	12782

	कोकराझार	1081	1270	2351	1714	2814	4528	2795	4084	6879
	लखीमपुर	4041	4067	8108	3221	4755	7976	7262	8822	16084
	मोरीगांव	325	326	651	150	350	500	475	676	1151
	नगांव	6288	6529	12817	2517	5679	8196	8805	12208	21013
	उत्तर लखीमपुर	180	196	376	186	220	406	366	416	782
	शिवसागर	7655	7684	15339	5199	8547	13746	12854	16231	29085
	शिवसागर	1965	2335	4300	1400	2435	3835	3365	4770	8135
	सोनितपुर	18338	19790	38128	13398	23219	36617	31736	43009	74745
	तिनसुकिया	30554	34406	64960	22753	35070	57823	53307	69476	122783
	उदलगुड़ी	8756	10216	18972	7810	14603	22413	16566	24819	41385
मेघालय	री-भोई	27	21	48	33	23	56	60	44	104
मिजोरम	चम्फाई	0	0	0	15	25	40	15	25	40
नागालैंड	मोकोकचुंग	0	0	0	30	70	100	30	70	100
सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	176	226	402	46	118	164	222	344	566
त्रिपुरा	धलाई	429	512	941	205	327	532	634	839	1473
	खोवाई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उत्तर त्रिपुरा	1031	1123	2154	265	248	513	1296	1371	2667
	सिपाहीजाला	145	242	387	69	59	128	214	301	515
	दक्षिण त्रिपुरा	29	71	100	54	138	192	83	209	292
	ऊनाकोटी	534	760	1294	678	1054	1732	1212	1814	3026
	पश्चिम त्रिपुरा	853	1336	2189	373	715	1088	1226	2051	3277

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1323

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021 / 15 अग्रहायण, 1943 (शक)

नई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

1323. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस तारीख को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95) शुरू की गई थी और उसके लिए क्या आधार और मानदंड तय किए गए थे;

(ख) क्या पुरानी पेंशन योजना के बंद होने के बाद, पुरानी पेंशन योजन 1971 की कायिक निधि को नई ईपीएस 95 में अंतरित कर पुरानी पेंशन योजना, 1971 के सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार की पेंशन अथवा अन्य सामाजिक/आर्थिक सुरक्षा योजना का विकल्प दिए बिना नई ईपीएस 95 में स्थानांतरित कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने पेंशन सुविधा प्राप्त करने के लिए हर माह अपने वेतन से अंशदान किया है;

(ड.) यदि हां, तो पेंशनभोगियों को कितनी पेंशन दी जा रही है और इसके क्या मानदंड है; और

(च) पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन के साथ चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 को दिनांक 16.11.1995 को लागू किया गया जिसमें पूर्ववर्ती 'कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना, 1971' सम्मिलित थी, साथ ही इसकी सभी परिसंपत्तियां और देयताएं भी अंतरित और विलयित कर दी गई। इस योजना में सदस्यों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक भरण पोषण और उत्तरजीविता कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी।

जारी..2/-

(घ) से (च): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। ईपीएस योजना के तहत पेंशन दिए जाने के लिए एक पूल खाता है जिसमें (i) वेतन का 8.33 प्रतिशत की दर से नियोक्ता का अंशदान; तथा (ii) वेतन का 1.16 प्रतिशत की दर से, प्रति माह 15000/-रुपये तक की राशि, बजटीय सहयता के माध्यम से केंद्र सरकार का अंशदान शामिल है। इस प्रकार, ईपीएस, 1995 में नियोक्ताओं का कोई अंशदान नहीं है। योजना के तहत सदस्य की पेंशन राशि सेवा की पेंशनयोग्य अवधि और पेंशनयोग्य वेतन को ध्यान में रखकर निम्निलिखित सूत्र अनुसार निर्धारित की जाती है:

$$\frac{\text{पेंशनयोग्य सेवा} \times \text{पेंशनयोग्य वेतन}}{70}$$

हालांकि, सरकार ने, पहली बार, अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को 1000/-रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने ईपीएस, 1995 के पूर्ववर्ती पैरा क के अंतर्गत दिनांक 25.09.2008 को या उससे पहले संराशीकरण का लाभ प्राप्त करने वाले सदस्यों के संबंध में, इस प्रकार के संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूर्ण होने के बाद सामान्य पेंशन को बहाल करने के अपने निर्णय को दिनांक 20.02.2020 के सा. से. नि. 132 (अ.) के माध्यम से अधिसूचित भी किया है।

योजना में ईपीएस पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के लिए कोई उपबंध नहीं है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1353
सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण,1943(शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

1353. श्री संजय जाधवः
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) महाराष्ट्र में उक्त योजना के तहत अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;
(ग) महाराष्ट्र में अब तक, विशेषरूप से यवतमाल-वाशिम निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(घ) अब तक निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ड.) उक्त योजना के तहत राज्य में लक्षित लाभार्थियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सरकार वर्ष 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है और अनौपचारिक कामगारों को भी औपचारिक कार्यबल में लाना है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से 15,000/- से कम अथवा उसके बराबर कमाने वाले नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए नियोक्ता के अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लाभ मिलता रहेगा।

(ख): पीएमआरपीवाई योजना के आरंभ से नवम्बर, 2021 तक महाराष्ट्र में 1484.49 करोड़ रुपए की राज-सहायता का संवितरण किया गया है।

(ग): महाराष्ट्र में 21.69 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया, जिसमें यवतमाल में 2567 और वाशिम में 88 शामिल हैं।

(घ): इस योजना से 20 लाख लाभार्थियों को लाभ होने का अनुमान था। 27 नवम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार 1.53 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

(ड.): योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया के विभिन्न माध्यमों,जिसमें ईपीएफओ की वेबसाइट भी शामिल है, के माध्यम से अभियान चलाया गया था। इसके अलावा, नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक सेमिनार और बैठकें भी आयोजित की गईं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1377

सोमवार, 6 दिसंबर, 2021 / 15 अग्रहायण, 1943 (शक)

संगठित/असंगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि

1377. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रोजगार में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तुलनात्मक रूप से संगठित और असंगठित क्षेत्र का पिछले पाँच वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का अनुमान, जिसे सामान्य स्थिति के आधार पर कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों की संख्या से परिभाषित किया गया है, पिछले तीन वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाया गया है अर्थात यह क्रमशः 46.8% (2017-18), 47.3% (2018-19) और 50.9% (2019-20) रही है। राज्य-वार डब्ल्यूपीआर **अनुबंध** में दिया गया है।

* ******

अनुबंध

"संगठित/असंगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 06.12.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1377 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)		
	2017-18	2018-19	2019-20
आंध्र प्रदेश	57.2	54.8	55.5
अरुणाचल प्रदेश	42.3	40.9	44.3
असम	43.7	43.4	43.2
बिहार	35.5	36.4	39.7
छत्तीसगढ़	62.4	61.2	65.4
दिल्ली	42.7	44.5	43.3
गोवा	42.9	45.9	47.3
गुजरात	47.4	49.7	54.7
हरियाणा	41.7	41.9	42.9
हिमाचल प्रदेश	58.9	63.9	70.5
जम्मू और कश्मीर	51.0	52.9	52.5
झारखंड	41.7	44.9	53.6
कर्नाटक	49.1	49.3	53.1
केरल	41.2	44.9	45.3
मध्य प्रदेश	54.3	52.3	57.7
महाराष्ट्र	50.5	50.6	55.7
मणिपुर	42.5	44.3	45.5
मेघालय	62.3	61.8	58.6
मिजोरम	46.4	45.6	50.7
नागालैंड	32.8	38.1	44.8
ओड़ीशा	44.9	47.6	51.9
पंजाब	42.9	44.2	47.8
राजस्थान	48.2	50.0	55.0
सिक्किम	58.7	61.1	68.8
तमिलनाडू	51.0	51.4	55.3
तेलंगाना	49.8	50.6	55.7
त्रिपुरा	42.0	41.9	49.6
उत्तराखंड	40.6	41.4	49.5
उत्तर प्रदेश	41.8	40.8	45.1
पश्चिम बंगाल	47.8	49.7	49.7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	48.7	49.1	49.8
चंडीगढ़	46.9	47.3	45.5
दादरा और नागर हवेली	66.3	68.6	72.2
दमन और दीव	63.2	55.1	64.5
लक्षद्वीप	34.4	29.5	48.0
पुदुचेरी	37.8	47.8	47.7
लद्दाख	-	-	62.7
अखिल-भारतीय	46.8	47.3	50.9

स्त्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2357

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कंपनियां

2357. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः
श्री प्रताप सिम्हाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत कंपनियों से राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) एबीआरवाई से अब तक राज्य-वार कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं तथा सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा आपात स्थिति, सेवानिवृत्ति और सामान्य निकासी के मामले में श्रमिकों को पीएफ राशि के त्वरित संवितरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) आवेदन करने की तिथि से श्रमिकों के आवेदनों को संसाधित करने में औसत कितना समय लगता है और क्या संसाधित करने की गति में तेजी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): दिनांक 04.12.2021 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार लाभार्थी प्रतिष्ठान और कर्मचारी और संवितरित राशि अनुबंध पर दी गई है।

(ग): कामगारों को पीएफ राशि के त्वरित वितरण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जनवरी, 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के दावों के स्वत: निपटान की शुरुआत की गई थी।

ii) महामारी, बाढ़, भूकंप आदि जैसी किसी भी आपदा के समय जब ऐसे आपदा प्रभावित कार्यालयों में दावों को संसाधित करना संभव नहीं हो सकता है, ईपीएफ सदस्यों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए ईपीएफओ में मल्टी-लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की गई थी।. इस व्यवस्था ने ईपीएफ सदस्यों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में मदद की है और ईपीएफओ के कार्यालयों को आपदा रोधी बनाने में भी मदद की है।

(घ): दावा निपटान की प्रक्रिया में लिया गया वर्ष-वार औसत समय इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	दावा संसाधित करने में लगने वाला औसत समय (दिनों में)
2019-20	11.5 दिन
2020-21	8.4 दिन
2021-22 (06.12.2021 को)	7.3 दिन

जैसा कि ऊपर की तालिका में देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दावों के निपटान की गति में वृद्धि हुई है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 13.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2357 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लाभार्थी प्रतिष्ठानों (प्रतिष्ठानों), कर्मचारियों एवं लाभ राशि राज्य-वार सूची (04.12.2021 तक)				
क्र.सं.	राज्य	प्रतिष्ठान	नए कर्मचारी	लाभ राशि (रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	32	368	39,77,396
2	आंध्र प्रदेश	3,025	1,07,324	77,51,87,953
3	अरुणाचल प्रदेश	9	59	3,80,640
4	असम	436	11,873	7,14,09,916
5	बिहार	902	17,616	15,74,59,757
6	चंडीगढ़	1,268	43,618	29,42,33,850
7	छत्तीसगढ़	2,286	55,733	40,76,13,436
8	दिल्ली	2,443	1,47,520	87,18,86,213
9	गोवा	437	14,427	9,27,41,595
10	गुजरात	12,379	4,44,741	2,78,63,52,624
11	हरियाणा	5,974	2,57,728	1,67,79,95,256
12	हिमाचल प्रदेश	1,700	56,681	37,60,28,799
13	जम्मू और कश्मीर	681	12,895	10,49,62,007
14	झारखंड	1,649	41,587	31,46,95,599
15	कर्नाटक	8,024	3,07,164	2,21,63,55,794
16	केरल	2,034	60,521	45,94,47,215
17	लद्दाख	12	163	8,96,149
18	मध्य प्रदेश	4,760	1,38,512	1,03,57,85,589
19	महाराष्ट्र	17,524	6,49,560	4,09,72,34,366
20	मणिपुरी	38	765	53,73,983
21	मेघालय	31	966	1,47,23,933
22	मिजोरम	12	292	41,97,954
23	नागालैंड	7	43	4,38,698
24	ओडिशा	3,182	59,485	46,17,12,892
25	पंजाब	5,249	1,19,577	91,21,26,945
26	राजस्थान	8,725	2,19,079	1,41,91,17,573
27	सिक्किम	95	2,747	2,42,67,287
28	तमिलनाडु	12,803	5,35,615	3,00,46,76,607
29	तेलंगाना	4,097	1,85,051	1,03,56,10,742
30	त्रिपुरा	130	3,091	2,90,18,051
31	उत्तर प्रदेश	9,548	2,75,180	2,13,28,53,265
32	उत्तराखंड	1,931	63,444	44,15,82,808
33	पश्चिम बंगाल	5,593	1,39,126	89,06,99,250
	कुल योग	**1,17,016**	**39,72,551**	**26,12,10,44,142**

स्रोत: ईपीएफओ, श्रम और रोजगार मंत्रालय।

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2372

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021 / 22 अग्रहायण, 1943 (शक)

मजदूर हितों की सुरक्षा

2372. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मजदूरों के हितों और सुरक्षा के संबंध में बनाए गए नियमों जैसे दिहाड़ी मजदूरी, काम करने के घंटे आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो मजदूरी के हितों के साथ अन्याय से संबंधित कितने मामले संज्ञान में आए हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के संदर्भ में समीक्षा में उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार के सरकारी नियमों में कार्यरत कर्मचारियों को दैनिक ड्यूटी घंटे और न्यूनतम मानदेय दिए जाने संबंधी कोई प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): न्यूनतम मजदूरी के भुगतान और कार्य के घंटों सहित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों का प्रवर्तन समुचित सरकारों अर्थात केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित अधिकार-क्षेत्र में इस प्रयोजनार्थ सांविधिक रूप से नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यत: केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में पदनामित मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है और राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। पदनामित निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने अथवा कम मजदूरी का भुगतान करने तथा कामगारों के घंटों और कार्य दशाओं सहित विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों के गैर-अनुपालन के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में, वे नियोक्ताओं को वेतन में की गई कटौती का भुगतान करने और श्रम कानूनों के उपबंधों का पालन करने का निदेश देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के तहत निर्धारित शास्ति उपबंधों का प्रयोग किया जाता है।

केन्द्रीय क्षेत्र में राजस्थान राज्य में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 सहित विभिन्न श्रम कानूनों का उपबंदों के

प्रवर्तन के संबंध में ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। राज्य क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रवर्तन का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है तथा इसी कारण राजस्थान सरकार के संबंध में प्रवर्तन का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ): न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के उपबंधों के अंतर्गत, एक वयस्क कामगारों के लिए सामान्य कार्य दिवस में 9 घंटे होते हैं तथा कार्य दिवस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसमें विश्राम के अंतरालों, यदि कोई हों, को शामिल करते हुए यह किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक न हो जाए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 12 में अपेक्षित है कि नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को यथा लागू मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा।

* *****

अनुबंध

मजदूर हितों की सुरक्षा के संबंध में पूछे गए दिनांक 13.12.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2372 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केन्द्रीय क्षेत्र में राजस्थान राज्य में कराए गए निरीक्षणों और विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत दायर किए गए अभियोजनों तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दर्ज कराए गए दावों की संख्या का ब्यौरा

वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	दायर किए गए अभियोजनों की संख्या	दायर किए गए दावों की संख्या	
			मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
2018-19	4,429	363	7	191
2019-20	5,238	408	23	95
2020-21	1747	113	14	84
2021-22 (नवंबर, 21 तक)	1620	12	4	17

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2414
सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

अनौपचारिक क्षेत्र का संकुचन

2414. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में अनौपचारिक क्षेत्र तेजी से संकुचित हुआ और पिछले पांच वर्षों के दौरान और आज तक महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का असर इस क्षेत्र के कामगार पर पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, इसके कारण और उक्त क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, मालिकाना और भागीदारी उद्यमों को अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में माना जाता है। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान गैर-कृषि क्षेत्र में लगे कामगारों में मालिकाना और साझेदारी (पी एंड पी) उद्यमों में लगे कामगारों की सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) का प्रतिशत क्रमशः 68.2%, 68.4% और 69.5% है।

सरकार ने हाल ही में निर्माण कामगारों, प्रवासी कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों, कृषि कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल प्रारंभ किया है। 8.12.2021 को ई -श्रम पोर्टल पर 11.08 करोड़ कामगारों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत नवंबर 2021 तक 31.28 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति भी उन्मुख हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2450

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

ईपीएफ अंशदान में बदलाव

2450 श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित कर्मचारियों के मूल वेतन में अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस अंशदान में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान में सीईपीएफ योजना के माध्यम से कर्मचारियों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार का केन्द्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के अंतर्गत शामिल किसी भी प्रतिष्ठान के 15,000 रुपये तक मासिक मजदूरी आहरित करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए निधि में शामिल होना तथा 12% मजदूरी का अंशदान देना सांविधिक रूप से

अपेक्षित है, जिसमें मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा गुजार भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है।

(ख): जी नहीं।

(ग): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत, सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से 15,000 रुपये प्रतिमाह की राशि तक 1.16 प्रतिशत मजदूरी की दर से अंशदान करती है। इसके अलावा, सरकार ने, पहली बार, अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनधारकों को 1000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की।

सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) भी प्रारंभ की है। एबीआरवाई के अंतर्गत, सरकार 1000 कर्मचारियों तक नियोजन करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कर्मचारियों और नियोजकों दोनों के 24% मजदूरी के अंशदानों (प्रत्येक के लिए 12% मजदूरी) का भुगतान कर रही है तथा 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कर्मचारियों की 12% मजदूरी के अंशदान का भुगतान कर रही है। दिनांक 04.12.2021 की स्थिति के अनुसार, 39.73 लाख नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं तथा 2612.10 करोड़ रुपये के अग्रिम लाभ उनके खातों में क्रेडिट कर दिए गए हैं।

(घ): सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित उपबंधों का निर्धारण लागू विभिन्न नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों द्वारा किया जाता है तथा उनमें सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2487

सोमवार, 13 दिसंबर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

भविष्य निधि के खातों के लिए केंद्रीकृत आईटी प्रणाली

2487. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव भविष्य निधि खातों के लिए एक केंद्रीकृत आईटी प्रणाली स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रणाली में व्यक्तियों के विभिन्न भविष्य निधि खातों का विलय करना और उन्हें एक खाते में परिवर्तित करना अपेक्षित है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कदम द्वारा निजी भविष्य निधि खाताधारकों को किस प्रकार लाभ पहुंचना अपेक्षित है; और

(ङ) उक्त कदम के कब तक साकार हो जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सेवा प्रदायगी प्रणाली का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। पिछले चार वर्षों के दौरान, अनुमानित 535.71 लाख ईपीएफ खातों को आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) में समामेलित/विलयित किया गया है। सेवा प्रदायगी और शिकायत निवारण में और वृद्धि लाने तथा सुधार करने के लिए, ईपीएफओ क्षेत्रीय स्तर अलग-अलग डेटाबेस और भुगतान प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से केंद्रीकृत आईटी प्रणाली को चरणों में मजबूत कर रहा है।

चरणों में क्रियान्वित किए जा रहे एकीकृत और भुगतान प्रणाली के लाभ निम्नानुसार हैं:

(i) खातों के सुचारू रूप से विलय द्वारा प्रक्रियाओं में कार्य कुशलता लाने के लिए नौकरियां बदलने पर सदस्यों के खाते के ऑनलाइन स्थानांतरण को सुसाध्य बनाना;
(ii) मासिक पेंशन के वितरण को आसान बनाना; तथा
(iii) दावों का निपटान तेजी से करना।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ ने अन्य बातों के साथ-साथ सेवा प्रदायगी में सुधार लाने तथा आईटी कार्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों पर सुझाव देने के लिए सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

*****

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2778

(दिनांक 15.12.2021 को उत्तर के लिए)

रिक्त पड़े आरक्षित पद

2778. डॉ. आलोक कुमार सुमन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि संबंधित विभाग के लापरवाहीपूर्ण रवैये के कारण केन्द्र सरकार के सरकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों में बड़ी संख्या में आरक्षित रिक्तियों को भरा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अपनी कार्यालयी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) अजा/अजजा/अपि वर्ग की सभी आरक्षित रिक्तियों को निर्धारित समय पर भरने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केन्द्र सरकार के 90 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों वाले 10 मंत्रालयों/विभागों से अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है। ये मंत्रालय/विभाग अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से ऐसे आंकड़े एकत्रित करते हैं एवं तदुपरांत, समेकित आंकड़े कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 01.01.2020 को मंत्रालय/विभाग-वार एवं श्रेणी-वार (अर्थात अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.) बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का विवरण **संलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) एवं (घ) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. हेतु आरक्षण से संबंधित डीओपीटी के दिशा-निर्देशों को पूर्णतया क्रियान्वित किया जा रहा है, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रशासन के प्रभारी उप

सचिव (अथवा कम से कम उप सचिव की रैंक का कोई अन्य अधिकारी) को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया जाए। यदि मंत्रालयों/विभागों के सम्पर्क अधिकारी यह देखते हैं कि किसी अधिकारी ने आरक्षण निर्देशों का उल्लंघन किया है अथवा किसी अधिकारी के विरूद्ध उत्पीड़न की शिकायत है या कोई कमजोर तबकों के हितों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर चीजों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा है तो उसे ऐसी चूकों की सूचना सचिव/सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग के अपर सचिव/या विभागाध्यक्ष के अधीन आने वाले कार्यालयों के मामले में विभागाध्यक्ष को, जैसा मामला हो, देनी चाहिए। संबंधित सचिव/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष ऐसी रिपोर्टों पर आवश्यक आदेश पारित करेंगे, ताकि सम्बंधित नियोक्ता प्राधिकरण के आरक्षण संबंधी आदेशों को कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित हो सके।

(ड.) : बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 03.11.2021 का जारी किए गए हाल ही के पत्र सहित सभी मंत्रालयों/विभागों से समय-समय पर अजा/अजजा/अपिव के लिए सभी बैकलॉग रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान शुरू करने सहित समयबद्ध तरीके से भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

संलग्नक-I

रिक्त पड़े आरक्षित पद के संबंध में डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2021 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2778 के उत्तर के संबंध में उल्लिखित संलग्नक

दिनांक 31.12.2019 (01.01.2020) तक की स्थिति के अनुसार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का आंकड़ा

बैकलॉग रिक्तियों, भरी गई रिक्तियों और भरी नहीं गई रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		रिक्तियां	भरे हुए	रिक्त	रिक्तियां	भरे हुए	रिक्त	रिक्तियां	भरे हुए	रिक्त
1	डाक	1379	393	986	845	158	687	1090	426	664
2	रेलवे	9767	4208	5559	7713	2250	5463	12061	5314	6747
3	आवास और शहरी मामले	259	141	118	272	124	148	720	431	289
4	रक्षा उत्पादन	8604	6818	1786	7352	5647	1705	4692	4156	536
5	रक्षा	1649	236	1413	1068	117	951	2732	529	2203
6	परमाणु ऊर्जा	189	52	137	189	40	149	679	108	571
7	वित्तीय सेवाएं	1527	648	879	1363	421	942	2252	1018	1234
8	राजस्व	4971	1483	3488	3214	647	2567	4336	1492	2844
	कुल	**28345**	**13979**	**14366**	**22016**	**9404**	**12612**	**28562**	**13474**	**15088**

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3490

(जिसका उत्तर सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना"

3490. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

श्री रमेश चंद्र कौशिकः

श्रीमती नवनित रवि राणाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड-19 महामारी से संबद्ध पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए आवंटित कुल धनराशि का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र, विशेष रूप से अमरावती संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए आवंटित/जारी और खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन योजनाओं/कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत आज की तिथि तक कोविड-19 महामारी राहत पैकेज को खर्च/उपयोग किया गया है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस पैकेज का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि पूरे देश के लिए आवंटित किया जाता है, न कि राज्य-वार। तथापि, दिनांक **13.12.2021** तक की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों सहित, वितरित किए गए लाभों की राज्य-वार सूची और प्रतिष्ठानों और कर्मचारी लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-**I** पर दिया गया है। **123** प्रतिष्ठानों में **2696** लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के अमरावती जिले में प्रदान की गई **2,04,69,613** रुपये की राशि शामिल है।

(ग): सरकार ने कोविड-19 की शुरुआत के बाद से निम्नलिखित पैकेजों की घोषणा की थी: (i) दिनांक 26.03.2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (ii) दिनांक 13-17 मई, 2020, 12 अक्टूबर, 2020 और 12 नवंबर 2020 को क्रमशः आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1.0, 2.0 और 3.0 (iii) दिनांक 28.06.2021 को कोविड प्रोत्साहन पैकेज। उन सभी योजनाओं के विवरण को दर्शाने वाला विवरण, जिनके लिए 36.15 लाख करोड़ (आरबीआई द्वारा घोषित उपायों सहित) के उपरोक्त पैकेजों की घोषणा की गई है, अनुबंध- II में है। जबकि पीएमजीकेपी के अंतर्गत घोषित योजनाएं महामारी के दौरान गरीबों की सहायता के लिए कल्याणकारी योजनाएं थीं, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत घोषित योजनाएं/कार्यक्रम ज्यादातर दीर्घकालिक उपाय हैं जिनके परिणाम नियत समय में दिखाई देंगे। पीएमजीकेपी के तहत प्रदान किए गए लाभों और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं के राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I.

दिनांक 20.12.2021 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3490 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

लाभार्थी प्रतिष्ठानों (प्रतिष्ठानों), रोजगार और लाभ राशि की राज्य-वार सूची (13.12.2021 तक)				
क्र.सं.	**राज्य**	**प्रतिष्ठानों**	**नए रोजगार**	**लाभ राशि (रुपए में)**
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	32	368	40,88,940
2.	आंध्र प्रदेश	3,066	1,10,707	81,67,50,008
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	64	4,46,030
4.	असम	445	12,141	7,51,53,499
5.	बिहार	911	18,040	16,42,89,124
6.	चंडीगढ़	1,286	44,340	30,62,63,355
7.	छत्तीसगढ	2,309	56,799	42,92,68,766
8.	दिल्ली	2,466	1,49,994	90,77,97,921
9.	गोवा	444	14,715	9,66,11,541
10.	गुजरात	12,511	4,55,088	2,93,33,69,912
11.	हरियाणा	6,037	2,63,922	1,74,67,85,573
12.	हिमाचल प्रदेश	1,718	58,295	39,40,22,518
13.	जम्मू और कश्मीर	691	13,076	11,04,36,887
14.	झारखंड	1,672	42,421	32,91,62,349
15.	कर्नाटक	8,152	3,14,502	2,31,89,07,074
16.	केरल	2,067	62,110	48,47,64,752
17.	लद्दाख	12	163	8,99,425
18.	मध्य प्रदेश	4,826	1,41,573	1,08,32,12,131
19.	महाराष्ट्र	17,716	6,59,394	4,24,16,56,390
20.	मणिपुर	38	774	57,78,394
21.	मेघालय	31	974	1,50,19,829
22.	मिजोरम	13	303	46,35,366
23.	नागालैंड	7	43	4,61,268
24.	ओडिशा	3,240	60,693	48,29,56,521
25.	पंजाब	5,312	1,22,105	96,03,02,120
26.	राजस्थान	8,823	2,24,102	1,48,46,59,213
27.	सिक्किम	96	2,862	2,57,02,287
28.	तमिलनाडु	12,998	5,52,986	3,18,43,00,770
29.	तेलंगाना	4,148	1,89,681	1,09,39,89,138
30.	त्रिपुरा	131	3128	3,05,19,938
31.	उत्तर प्रदेश	9,657	2,80,862	2,23,48,39,603
32.	उत्तराखंड	1,949	65,045	46,16,02,653
33.	पश्चिम बंगाल	5,673	1,42,321	93,80,15,344
	कुल योग	**1,18,489**	**40,63,591**	**27,36,66,68,639**

अनुबंध-II

दिनांक 20.12.2021 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3490 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का विवरण

(i) स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए 30.03.2020 से कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना को बढ़ा दिया गया है और यह अप्रैल, 2022 तक वैध है।

(ii) पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत कवर किया गया सभी लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो की दर से खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। इसके अलावा, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार दालें प्रति परिवार 1 किलो की दर से तीन महीने के लिए मुफ्त प्रदान की गईं। इस योजना को नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। मुफ्त खाद्यान्न की योजना मई 2021 से नवंबर, 2021 के महीनों के लिए फिर से शुरू की गई थी। अब इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

(iii) किसानों को लाभः 2020-21 में देय 2,000 रुपये की पहली किस्त का भुगतान अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत किया गया था, जिसमें लगभग 8.7 करोड़ किसान शामिल थे।

(iv) नकद हस्तांतरण-

क) कुल 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को तीन महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि।

ख) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 8 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर (तीन)।

ग) 100 से कम श्रमिकों वाले व्यवसायों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम आय वाले वेतनभोगियों को उनके पीएफ खातों में तीन महीने के लिए मासिक वेतन का चौबीस (24) प्रतिशत प्रदान किया गया था। इस योजना को और तीन महीने के लिए, यानी अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

घ) लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं और दिव्यांग वर्ग के लोगों को 1000/- रुपये की राशि।

(v) मनरेगा मजदूरी में 1 अप्रैल, 2020 से 20 रुपये की वृद्धि की गई।

(vi) स्वयं सहायता समूहः 63 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

(vii) पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक

क) संगठित क्षेत्रः कर्मचारियों के भविष्य निधि विनियमों में महामारी को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है, ताकि खातों से राशि का 75 प्रतिशत या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, की गैर-वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति दी जा सके।

ख) राज्य सरकारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोष का उपयोग करने के लिए निधि के 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक व्यवधानों से बचाने के लिए सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था।

ग) जिला खनिज कोषः राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के साथ ही इस महामारी से प्रभावित मरीजों का इलाज करने के लिए चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाओं को अनुपूरित करने और उसे तीव्र करने के लिए जिला खनिज कोष (डीएमएफ) के तहत उपलब्ध धन का उपयोग करने के लिए कहा गया था।

आत्मनिर्भर भारत उद्घोषणाएं

क. 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा
2. संकट ग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये अधीनस्थ ऋण
3. एमएसएमई फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये इक्विटी समावेशन
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय

5. 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी निविदाओं हेतु कोई वैश्विक निविदा नहीं।
6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी स्थापनाओं के लिए अगले 3 माह हेतु नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ अंशदान 12% से घटाकर 10% किया जाना।
8. एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रु. की विशेष तरलता योजना
9. एनबीएफसी/एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. डिसकॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से ठेकेदारों को दिए गए राहत
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर कर को धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर से संबंधित अनुपालनों के लिए देय तिथियां विस्तारित

ख. 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. शिशु मुद्रा ऋण हेतु 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता - 1500 करोड़ रुपये की राहत।
20. नुक्कड़ पर सामान बेचने वालों के लिए 5000 करोड़ रुपये ऋण सुविधा।
21. पीएमएवाई (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपए।
22. सीएएमपीए निधियों का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन हेतु 6,000 करोड़ रुपये
23. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये रियायती ऋण

ग. 15.05.2020 को की गई घोषणाएँ

25. किसानों के लिए कृषि गेट बुनियादी सुविधाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना
26. माइक्रो खाद्य उद्यम (एमएफई) के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये योजना
27. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये
28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना - 15,000 करोड़ रु
30. हर्बल खेती को बढ़ावा 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल - 500 करोड़ रुपये
32. 'शीर्ष' से कुल – 500 करोड़ रुपए ऑप्रेशन ग्रीन स्कीम, शीर्ष से कुल अधिसूचित फलों और सब्जियों के दामों के ट्रिगर मूल्य से नीचे होने पर इनके यातायात और भंडारण से संबंधित कार्यकलापों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराता है।
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय हेतु उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार
iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया
35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर
36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीति सुधार को बढ़ाना
38. रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर को बढ़ाना
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
40. नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
42. भारत विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर
43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
44. सामाजिक क्षेत्र में रूपान्तरित व्यवहार्यता अंतराल निधियन स्कीम के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमजीएनआरईजीएस के आबंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि
48. भविष्य के महामारियों के लिए भारत को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि
49. कोविड के पश्चात इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी चालित शिक्षण।
50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि।
51. कंपनी अधिनियम की चूक में कमी करना
52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
54. 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. 12 अक्टूबर, 2020 को की गई घोषणाएँ

55. एलटीसी कैश वाउचर योजना- 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराया का कर-मुक्त भुगतान)
56. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में 10,000 रु. का ब्याज मुक्त अग्रिम, 31 मार्च, 2021 तक खर्च किए जाने हेतु।
57. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बूस्ट - एक 12,000 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल के लिए एक विशेष ब्याज मुक्त ऋण

- 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 200 करोड़ रुपये
- उत्तराखंड, हिमाचल में से प्रत्येक के लिए ₹450 करोड़
- वित्त आयोग के हस्तांतरित अंश के अनुसार शेष राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपये।

58. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त बजट के लिए पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ (बजट 2020 -21 में 4.13 लाख करोड़ के अलावा) रुपये प्रदान किया गया। ।

छ. 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणाएं

59. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना - कोविड-19 से उबरने के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या उन्हें जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।
60. एमएसएमई व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के

लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है।

61. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य की पेशकश।
62. पीएम आवास योजना - शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय
63. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट
64. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत
65. अवसंरचना ऋण वित्तीयन के लिए प्लेटफार्म
66. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए 65,000 करोड़ रु.
67. ग्रामीण रोजगार के लिए प्रेरणा पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है। निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।
68. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए प्रेरणा भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
69. रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
70. कोविड वैक्सीन के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

दिनांक 28.06.2021 को की गई घोषणाएं

1. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के लोन गारंटी योजना।
2. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये।
3. सुक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआईएस) के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।
4. 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटकों/गाइडों/यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता।
5. पहले 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीजा।
6. 31 मार्च, 2022 तक आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार।
7. डीएपी और पी एंड के उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रु. की अतिरिक्त सब्सिडी।
8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार-मई से नवंबर, 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न।
9. बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल/बाल चिकित्सा विस्तरों पर जोर देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रु. से अधिक।
10. पोषण, जलवायु लचीलापन और अन्य लक्षणों के लिए जैव-फोर्टिफाइड फसल की 21 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया जाना।
11. 77.45 करोड़ रु. के पैकेज के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरूद्धार
12. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रु. प्रोत्साहन
13. निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रु. का प्रोत्साहन
14. भारत नेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्राडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रु.
15. 2025-26 तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल बढ़ाना
16. सुधार आधारित परिणाम-लिंक्ड विद्युत वितरण योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रु.
17. पीपीपी परियोजनाओं और आस्ति मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया

*****

अनुबंध- III

दिनांक 20.12.2021 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3490 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

		पीएमजी एवाई (अप्रैल-नवंबर 2020)		पीएमजीएवाई दलहन/चना (अप्रैल-नवंबर 2020)		पीएमजीएवाई III मई'21 से जून'21		पीएमजीएवाई IV जुलाई'21 से अक्टूबर'21		एएनबी खाद्यान्न (प्रवासी को)		एएनबी चना (प्रवासी को)		उज्ज्वला		पीएम किसान	पीएम जेडीवाई	24% ईपीएफ		एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता	बीसीडब्ल्यू (भवन और निर्माण कोष)		डीएमएफ
क्र. सं.	राज्य	खाद्यान्न मात्रा (एमटी)	लाभार्थी	दालें/चना मात्रा (एमटी)	लाभार्थी	वितरित मात्रा (एमटी)	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (औसत)	वितरित मात्रा (एमटी)	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (औसत)	खाद्यान्न (कुल) (एमटी)	लाभार्थी (कुल)	कुल मात्रा (मई-जून) (एमटी)	कुल लाभार्थी (मई-जून)	अग्रिम या प्रतिपूर्ति के बदले दिया गया पूरक वितरित	अंतरित राशि (लाख में)	लाभार्थी की संख्या	धनराशि प्रदान की गई खातों की संख्या	लाभार्थी	राशि (लाख रुपये)	कुल लाभार्थी	लाभार्थियों की संख्या	कुल राशि (रु. लाख)	राशि (करोड़ रुपये)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,383	59,100	122	16,350	571	57,100	1,138	56,887	59.5	11,900	9	8,554	22,354	157	10,677	23,064	3,238.00	155.91	5,928	11,014	492	
2	आंध्र प्रदेश	9,95,500	2,61,12,304	66,492	90,28,190	2,55,687	2,55,68,719	4,85,252	2,42,62,597	7	1,360	0	0	7,62,024	5,163	46,95,820	60,13,565	1,85,152.00	11,651.14	9,32,661	19,67,484	19,675	131.48
3	अरुणाचल प्रदेश	30,642	7,98,490	1,034	1,77,210	8,094	8,09,380	12,571	6,28,545	799	1,59,758	34	33,730	76,658	518	66,323	1,80,119		0	34,139	3,000	60	

4	असम	9,77,964	2,48,73,000	45,456	57,86,440	2,47,225	2,47,22,480	3,91,794	1,95,89,690	15,712	31,42,380	638	6,37,953	52,70,571	36,257	18,61,715	95,34,385	9,772.00	252.73	8,40,984	2,70,000	2,700	0.65
5	बिहार	31,47,508	8,11,39,356	1,20,112	1,43,33,767	8,18,441	8,18,44,051	16,19,902	8,09,95,124	86,449	1,72,89,890	3,301	33,01,110	1,53,47,936	1,11,171	58,99,824	2,33,15,732	67,545.00	4,287.92	36,64,811	0	0	0
6	चंडीगढ़	10,167	2,59,080	486	63,670	2,460	2,46,000	5,059	2,52,927	145.8	29,160	7	7,056	246	2	429	1,10,537	23,805.00	2,034.29	3,415	6,670	400	
7	छत्तीसगढ	7,89,804	1,94,31,064	39,632	51,49,800	1,98,880	1,98,88,006	3,90,773	1,95,38,627	1,964	3,92,860	174	1,74,448	39,71,169	32,416	21,67,441	78,57,012	84,417.00	6,404.33	8,52,275	0	0	4.36
8	दादर और नागर हवेली और दमन और दीव	10,568	2,58,328	519	65,240	2,530	2,52,957	5,048	2,52,3 96	159	31,800	12	11,980	25,360	169	13,531	52,817 17,387		0	9,588 1,376	0	0 0	
9	दिल्ली	2,72,775	6284047	13,690	17,54,513	72,627	72,62,700	1,38,379	69,18,973	4,544	9,08,880	351	3,51,100	1,95,912	1,263	12,075	20,30,271	41,521.00	3,642.58	1,56,436	39,600	3,960	
10	गोवा	20,585	5,14,412	1,066	1,42,550	5,201	5,20,079	9,481	4,74,027	22	4,320	2	1,600	2,108	14	7,854	69,987	16,563.00	1,265.92	2,061	5,117	307	
11	गुजरात	12,76,713	31784856	50,026	65,09,333	3,27,197	3,27,19,703	6,60,498	3,30,24,881	287	57,312	20	20,253	49,09,689	32,592	46,85,062	71,08,005	2,70,988.00	18,510.49	6,88,953	4,83,196	4,832	22
12	हरियाणा	4,50,912	1,11,90,324	18,812	24,27,333	1,13,473	1,13,47,309	2,25,003	1,12,50,157	7,959	15,91,770	465	4,65,060	15,15,279	9,902	15,14,497	34,16,299	83,035.00	6,403.61	3,27,269	3,50,621	17,531	15.85
13	हिमाचल प्रदेश	1,06,429	27,72,352	4,790	6,73,667	26,810	26,81,044	55,511	27,75,560	2,028	4,05,516	112	1,11,700	2,92,574	1,965	8,70,609	5,84,184	48,762.00	3,629.35	1,11,863	1,21,281	7,461	0
14	जम्मू और कश्मीर	2,82,312	69,15,000	13,208	16,44,090	62,481	62,48,145	1,19,252	59,62,585	1,958	3,91,600	131	1,31,080	20,09,414	14,574	9,20,451	10,49,256	43,121.00	2,055.78	143289 (लद्दाख सहित)	155975 (लद्दाख सहित)	4,679	0.43
15	झारखंड	8,83,433	2,40,94,622	44,593	57,11,600	2,47,055	2,47,05,515	4,84,132	2,42,06,586	717	1,43,436	1,059	10,59,140	53,60,642	37,520	12,31,912	72,27,042	1,05,631.00	7,666.54	12,88,850	0	0	9.66
16	कर्ना	15,41,	3,86,4	80,9	1,27,2	3,78,	3,78,0	7,48,5	3,74,2	11,6	23,20,	2,0	20,55,	57,07,	37,8	48,39,	79,87,	3,19,3	24,92	13,98,	13,62,	68,1	118.

	टक	056	5,940	75	2,730	032	3,234	39	6,942	00	014	55	380	480	31	093	088	89.00	4.83	410	438	22	09
17	केरल	5,87,791	1,49,27,032	27,956	35,91,483	1,45,857	1,45,85,673	2,82,736	1,41,36,813	2,142	4,28,300	307	3,06,897	5,11,114	3,323	27,16,844	24,13,289	1,21,319.00	9,250.22	6,88,329	4,54,124	4,541	0
18	लद्दाख	5,645	1,41,480	233	29,008	1,374	1,37,420	1,964	98,195	33	6,548	0	0	19,172	166	0	9,951	247	21.08	(उक्त जम्मू और कश्मीर सहित)	(उक्त जम्मू और कश्मीर सहित)	0	
19	लक्षद्वीप	864	21,800	39	5,200	220	22,013	382	19,119	15	2,900	5	4,530	517	3	0	2,867		0	324	520	33	
20	मध्य प्रदेश	18,00,437	4,93,09,348	77,890	96,95,633	4,55,960	4,55,95,989	8,23,491	4,11,74,547	1,754	3,50,797	159	1,59,330	1,13,35,496	77,378	68,12,020	1,66,22,091	1,69,059.00	10,711.54	22,05,963	8,91,850	17,837	5.1
21	महाराष्ट्र	25,27,129	6,82,50,268	1,03,643	1,32,15,103	6,36,508	6,36,50,778	11,91,674	5,95,83,686	17,315	34,63,000	762	7,62,170	76,20,813	50,513	86,32,718	1,29,47,062	4,76,836.00	31,528.87	11,68,385	8,94,408	17,888	59.5
22	मणिपुर	90,747	20,47,906	4,192	5,87,503	17,077	17,07,669	28,540	14,27,011	676	1,35,200	82	82,348	2,76,213	2,120	2,83,457	5,04,169		0	61,972	52,605	526	
23	मेघालय	85,803	21,45,145	3,145	4,21,503	20,226	20,22,623	38,176	19,08,784	2,145	4,29,000	84	84,300	1,96,213	1,408	1,15,638	2,68,908	73,342.00	2,224.82	54,127	24,730	1,237	
24	मिजोरम	25,288	6,62,132	1,243	1,55,405	6,122	6,12,198	12,622	6,31,097	250	50,000	30	29,750	55,270	420	69,425	58,176		0	27,538	51,451	1,544	
25	नागालैंड	53,964	14,04,600	2,276	2,84,940	13,500	13,50,000	18,980	9,49,023	1,405	2,80,926	56	56,000	89,967	593	1,81,008	1,57,792		0	49,210	19,046	381	
26	ओडिशा	12,06,580	2,88,37,690	74,941	95,19,513	3,10,900	3,10,89,967	6,16,916	3,08,45,781	630	1,26,000	15	15,130	83,65,761	57,172	20,03,185	81,21,020	1,62,121.00	10,148.60	20,27,022	20,83,288	31,249	99.49
27	पुदुचेरी	23,211	5,97,945	1,273	1,78,500	6,069	6,06,935	10,445	5,22,274	73	14,680	15	15,000	31,098	203	9,715	83,926	16,456.00	1,011.52	28,757	0	0	
28	पंजाब	5,33,154	1,33,65,720	27,751	35,47,747	1,36,328	1,36,32,800	2,02,196	1,01,09,800	10,902	21,80,400	1,016	10,15,720	24,53,238	16,351	17,52,498	33,22,186	79,150.00	5,054.89	1,40,404	2,89,237	17,354	0.65
29	राजस्थान	17,52,646	4,44,44,332	75,043	99,94,240	4,20,133	4,20,13,322	6,83,918	3,41,95,923	42,478	84,95,600	2,003	20,03,000	1,11,23,374	73,858	51,64,391	1,56,13,962	1,23,266.00	7,946.42	9,87,781	22,30,000	55,750	15.93
30	सिक्किम	14,479	3,65,120	614	93,817	3,710	3,70,980	5,154	2,57,700	315	63,000	15	15,042	21,301	165	0	42,552		0	18,332	7,836	157	

31	तमिलनाडु	12,31,653	2,97,45,840	33,324	1,11,07,920	3,14,057	3,14,05,694	5,57,263	2,78,63,175	1,449	2,89,888	34	34,000	61,85,688	41,390	35,59,533	60,75,989	5,81,768.00	34,570.97	18,14,700	13,70,601	27,412	14.73
32	तेलंगाना	7,24,662	1,80,62,980	15,804	52,68,030	1,84,869	1,84,86,855	3,47,905	1,73,95,245	180	35,991	34	34,460	18,74,171	13,036	33,31,468	52,60,800	1,78,225.00	10,233.62	6,65,956	8,30,324	12,455	0
33	त्रिपुरा	94,893	23,73,722	4,420	5,40,847	24,242	24,24,161	48,416	24,20,790	22	4,386	22	21,929	4,46,819	3,747	1,90,441	4,31,770		0	1,38,473	39,082	1,172	
34	उत्तर प्रदेश	56,16,735	14,19,99,424	2,69,530	3,34,08,790	14,14,907	14,14,90,661	28,17,313	14,08,65,633	11,809	23,61,848	1,060	10,60,497	2,70,74,796	1,81,728	1,76,75,849	3,18,13,530	2,30,453.00	15,741.60	52,57,390	18,25,415	35,395	0.46
35	उत्तराखंड	2,37,842	58,95,600	10,736	13,44,657	59,400	59,39,990	81,376	40,68,783	383	76,554	34	33,800	7,62,313	5,015	6,74,688	12,67,372	41,863.00	3,234.58	2,15,109	2,28,423	4,568	3.49
36	पश्चिम बंगाल	23,39,724	5,83,10,164	91,452	1,40,19,333	5,87,047	5,87,04,738	11,64,461	5,82,23,039	45,894	91,78,800	2,647	26,46,760	1,72,88,933	1,16,938	0	1,89,95,377	4,28,442.00	21,132.39	21,32,959	21,98,349	21,983	0.46
	कुल	**2,97,51,729**	**75,80,40,523**	**13,26,516**	**18,32,15,657**	**75,25,269**	**75,25,26,888**	**1,42,86,258**	**71,43,12,916**	**2,74,279**	**5,48,55,773**	**16,751**	**1,67,50,807**	**14,12,01,683**	**9,67,041**	**8,94,54,616**	**20,65,00,000**	**39,85,486.00**	**2,55,696.54**	**2,81,45,039**	**1,82,67,685**	**3,81,702**	**502.33**

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3515
सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निधि

3515. श्री जयंत सिन्हाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड राज्य के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पी.एम.आर.पी.वाई) के तहत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) झारखंड में इस योजना के तहत कितनी धनराशि उपयोग की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र या उद्योग-वार और राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार इस योजना के लिए पंजीकरण फिर से शुरू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत, 14.12.2021 को झारखंड राज्य के लिए 61.38 करोड़ रुपये की राज-सहायता का संवितरण किया गया है।

(ग) 14.12.2021 को योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 1.21 करोड़ है। राज्य-वार और उद्योग/क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-**I** और **II** में दिए गए हैं।

(घ): प्रतिष्ठान के माध्यम से योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लाभ प्राप्त होता रहेगा।

अनुबंध- I

लोक सभा के दिनांक 20.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3515 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

14.12.2021 को पीएमआरपीवाई के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

राज्य	**लाभार्थियों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	254891
असम	11347
बिहार	127977
चंडीगढ़	194979
छत्तीसगढ	132291
दिल्ली	767733
गोवा	26025
गुजरात	1067569
हरियाणा	991910
हिमाचल प्रदेश	130498
झारखंड	70121
कर्नाटक	1183481
केरल	207296
मध्य प्रदेश	347154
महाराष्ट्र	2169009
ओडिशा	142341
पुदुचेरी	20289
पंजाब	197551
राजस्थान	462575
तमिलनाडु	1442828
तेलंगाना	706352
उत्तरप्रदेश	850820
उत्तराखंड	297661
पश्चिम बंगाल	367262
सकल योग	**1,21,69,960**

अनुबंध- II

लोक सभा के दिनांक **20.12.2021** के अतारांकित प्रश्न संख्या 3515 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

14.12.2021 को पीएमआरपीवाई के तहत उद्योग-वार/क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या

क्र .सं .	उद्योग	लाभान्वित कर्मचारी
1	सोडा वाटर	3674
2	अगरबत्ती	2399
3	कृषि फार्म	6855
4	आर्किटेक्ट्स	1372
5	अभ्रक	510
6	अभ्रक सीमेंट शीट्स	1414
7	अभ्रक की खदानें	34
8	वकील	76
9	ऑटोमोबाइल सर्विसिंग	85041
10	बॉल क्ले माइंस	82
11	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंक।	62545
12	बैराइट्स माइंस	6
13	बॉक्साइट खदानें	163
14	बीड़ी बनाना	149988
15	बीयर एमएफजी.	724
16	बिस्कुट बनाना	17092
17	बोन क्रशिंग	291
18	वनस्पति उद्यान	175
19	रोटी	6472
20	ईंट	9063
21	ब्रश	733
22	भवन और निर्माण उद्योग	778487
23	बटन	707
24	कैल्साइट माइन्स	57
25	गन्ने के खेत	943
26	कैंटीन	29270
27	इलायची के पौधे	334
28	काजू	11415
29	मवेशी चारा उद्योग	4492
30	सीमेंट	13133
31	चार्टर्ड या पंजीकृत लेखाकार	2689
32	चीनी मिट्टी की खदानें	1087
33	क्रोमाइट माइन्स	4646
34	सिगरेट	612
35	सिनकोना वृक्षारोपण	120

36	5 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले सिनेमा थिएटर	787
37	पूर्वावलोकन थिएटर सहित सिनेमाघर	2085
38	कॉफी देखभाल	484
39	कॉफी बागान	1012
40	कॉयर	1525
41	महाविद्यालय	33835
42	जीवन बीमा, वार्षिकी आदि की पेशकश करने वाली कंपनियां।	12915
43	प्रदर्शन के लिए कंपनियां/सोसाइटियां/एएसएससी/क्लब/दल	16170
44	हलवाई की दुकान	26532
45	कोरन्डम माइंस	25
46	लागत कार्य -लेखाकार	337
47	कपास की ओटाईदबाई -	17694
48	मिट्टी के बरतन	5787
49	दाल मिलिंग	1179
50	हीरे की कटाई	56366
51	हीरे की खदानें	54
52	डायमंड सॉ मिल्स	298
53	डिस्टिलिंग - स्प्रिट संसोधन	2649
54	वितरणफिल्म-	267
55	डोलोमाइट खदानें	83
56	खाद्य तेल - वसा	7978
57	इलैक्ट्र., मैकेनिक या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद	626598
58	इलेक्ट. प्रोक्लीन इन्सुलेटर	2873
59	विद्युत (जी, टी, डी)	14279
60	निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां	11396
61	पन्ना खदान	38
62	इंजीनियर्स - इंजी. ठेकेदार	438640
63	कंप्यूटर के निर्माण, मार्केटिंग सर्विसिंग, उपयोग में लगे प्रतिष्ठान	169005
64	रेलवे में निर्माण, रखरखाव, संचालन के लिए लगे प्रतिष्ठान	3207
65	सफाई, स्वीपिंग सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	224104
66	कूरियर सेवाएं प्रदान करने में लगे प्रतिष्ठान	17580
67	विमान या एयरलाइनों की स्थापना	217
68	विशेषज्ञ सेवाएं	4840249
69	विस्फोटक	3336
70	फेल्डस्पार माइन्स	119
71	फेरो क्रोम	3417
72	फेरो मैंगनीज	1025
73	फिल्म प्रक्रिया-प्रयोगशालाएं	684
74	फिल्म निर्माण मुद्दे	2258
75	फिल्म स्टूडियो	381

76	वित्तीय प्रतिष्ठान	258663
77	आग का काम	5727
78	फायरक्ले माइन्स	138
79	मछली प्रसंस्करण और मांसाहारी खाद्य संरक्षण	19860
80	फ्लेवराईट खदानें	251
81	आटा पिसाई	6475
82	अग्रेषण अभिकरण	29127
83	फलों के बगीचे	903
84	फल -सब्जी संरक्षण	16714
85	वस्त्र निर्माण	625988
86	गौर गम फैक्ट्रियां	316
87	सामान्य बीमा	5534
88	कांच	14319
89	ग्लू और जिलेटिन कारखाने	125
90	सोने की खानें	477
91	ग्रेफाइट खदानें	214
92	जिप्सम माइंस	25
93	भारी -सूक्ष्म रसायन	105876
94	अस्पताल	199738
95	होटल	105380
96	बर्फ या आईस क्रीम	3461
97	नील	1565
98	आईएनडीएल. - पावर अल्कोहल	416
99	इंडोलियम	1940
100	अंतर्देशीय जल परिवहन	1224
101	लोहा और इस्पात	87037
102	लौह अयस्क की खदानें	880
103	लौह अयस्क छर्रे	2321
104	जूट	11006
105	जूट बेलिंग या प्रेसिंग	260
106	कत्था बनाना	445
107	ज्ञान या प्रशिक्षण संस्थान	20202
108	एलएसी / शेलैक	60
109	लॉन्ड्री - लॉन्ड्री सेवाएं	2139
110	चर्म उत्पाद	96941
111	लिग्नाइट खदानें	173
112	चूना पत्थर की खदानें	714
113	लिनोलियम	23
114	लॉजिंग हाउस, सर्विस अपार्टमेंट, कोंडोमिनियम	5146
115	मैग्नेसाइट माइंस	879
116	मैंगनीज की खदानें	609

117	संगमरमर की खदानें	583
118	मेच	3246
119	मैडिकल चिकित्सक	20123
120	मेसिज	4210
121	माईका माइंस	169
122	माईका खान -माईका उद्योग	1066
123	दूध के उत्पाद	16537
124	खनिज तेल शोधन	465
125	मिश्रित वृक्षारोपण	570
126	नगर परिषद/निगम	9882
127	मिरोबालन – सब्जी संबंधित प्रशिक्षण	193
128	समाचार पत्र प्रतिष्ठान	3395
129	अखाद्य तेल / वसा	1287
130	अलौह धातु और मिश्र धातु	20435
131	गेरू की खदानें	704
132	अन्य	116925
133	पेंट्स - वार्निश	21473
134	कागज़	12879
135	कागज के सामान	26429
136	काली मिर्च के पौधे	86
137	पेट्रोलियमप्राकृतिक / गैस उत्पादन	4931
138	पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस रिफाइनिंग	7100
139	पिकर	1018
140	प्लास्टिक उत्पाद	124602
141	प्लाईवुड	15039
142	मुर्गी पालन	21534
143	मुद्रण	23623
144	निजी हवाई अड्डे और संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे	47
145	लकड़ी का प्रसंस्करण और उपचार	2283
146	क्वार्टजाइट खदानें	16
147	क्वार्ट्ज माइन्स	4861
148	रेलवे बुकिंग एजेंसियां	178
149	रीफ्रैक्टरीज	5056
150	शोध संस्थान	3547
151	रेस्टोरेंट	84030
152	चावल मिलिंग	9596
153	सड़क मोटर परिवहन	74133
154	रबड़ के पौधे	747
155	रबर उत्पाद	53821
156	नमक	1910
157	सेनेटरी वेयर	7258

158	सा मिल्स	1896
159	विद्यालय	165552
160	वैज्ञानिक संस्थान	1270
161	सिलिका खदानें (रेत)	772
162	साबुन पत्थर की खदानें	855
163	सोसायटी / क्लब / एसोसिएशन	5639
164	सोसायटी क्लब या एसोसिएशन	35298
165	कपास के कचरे की छँटाई / सफाई /छंटाई	1809
166	स्टार्च	1295
167	स्टेशनरी उत्पाद	7790
168	स्टेटाइट माइंस	253
169	तम्बाकू के पत्तों का तना या लाली	141
170	स्टीवडोरिंग, लोडिंग-अनलोडिंग शिप	1423
171	चिप्स बिल्डरों आदि के लिए पत्थर की खदानें।	1846
172	रूफ-फ्लोर स्लैब आदि के लिए पत्थर की खदानें।	1750
173	पत्थर के पात्र	472
174	पत्थर के पाइप	1110
175	पेट्रोल/प्राकृतिक गैस का भंडारण, परिवहन या वितरण	7969
176	चीनी	10905
177	चाय	16704
178	चाय उगाना	3942
179	तम्बू बनाना	190
180	कपड़ा	803310
181	नाटकीय प्रदर्शन करने वाले थिएटर	1560
182	टाइल्स	6199
183	तंबाकू उद्योग	2709
184	व्यापार - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	828520
185	यात्रा अभिकरण	25004
186	विश्वविद्यालय	95423
187	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल आदि।	32826
188	वाइंडिंग थ्रेड यार्न रीलिंग	9857
189	लकड़ी संरक्षण संयंत्र	1027
190	लकड़ी मसाला भट्टियां	652
191	लकड़ी की कार्यशाला	10243
192	जूलॉजिकल गार्डन	302

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3631

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 / 29 अग्रहायण, 1943 (शक)

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ

3631. श्रीमती रमा देवी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी मानदंडों और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल करने के लिए कोई पहचान और पंजीकरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन श्रमिकों का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान और पंजीकरण किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार सरकार जीवन और नि:शक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिदेशित है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) जीवन और निःशक्तता कवर वर्ष 2015 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण रुप से निःशक्त होने पर 2 लाख रुपये, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये एवं आंशिक निःशक्त होने पर 1 लाख रुपये के लाभ प्रदान किए जाते हैं। 31 अक्टूबर, 2021 की स्थिति के

अनुसार पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत बिहार में कुल नामांकित लाभार्थी क्रमशः 42,85,468 और 1,39,69,196 हैं।

(ii): स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से वंचित और व्यावसायिक मानदंडों के तहत सुनिश्चित किए जाते हैं।यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल से संबंधित अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत बिहार में 1,08,11,015 परिवार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

(iii): वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना आरंभ की है। यह 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात मासिक आधार पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। ऐसे कामगार, जो 18-40 वर्ष के आयु वर्ग में हैं और जिनकी मासिक आय 15000/-रुपये अथवा उससे कम है, इस पीएम-एसवाईएम योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय होता है और केन्द्र सरकार द्वारा समनुरूप राशि के अंशदान का भुगतान किया जाता है। दिनांक 09.12.2021 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में कुल 2,00,235 लाभार्थियों का नामांकन किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, अन्य योजनाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएमएसवीएनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उनकी पात्रता मानदंड के आधार पर उपलब्ध हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस के सृजन हेतु दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षणिक अर्हता, कौशल प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि शामिल हैं। सभी पंजीकृत पात्र कामगार पीएमएसबीवाई के माध्यम से एक वर्ष के लिए निःशुल्क 2 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त करने हेतु पात्र है। 15 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर 12 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पंजीकृत किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3671

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक)

औद्योगिक और असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा

3671. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक और असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यान्वित पेंशन योजना में खामियों के कारण लाभग्राही सदस्यों में असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेंशन योजना में महंगाई भत्ता और सरकारी अनुदानों को जोड़ने के लिए कोई निर्णय लिया है ताकि पेंशन का समुचित लाभ मिल सके;

(ग) 20 फरवरी, 2009 को संसदीय समिति द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सामाजिक सुरक्षा के तहत 1995 के पेंशनभोगियों को उचित लाभ दिलाने के लिए विशेषज्ञ समिति ने 05 अगस्त, 2010 को सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषज्ञ समिति के उक्त प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार 1995 के पेंशनभोगियों का उनकी मांग के अनुसार महंगाई भत्ता और अनुदान प्रदान करने का है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' की सामाजिक सुरक्षा योजना है। ईपीएस के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने के लिए एक सामूहिक खाता (पूल्ड अकाउंट) है जिसमें (i) नियोक्ताओं द्वारा मजदूरी के 8.33% का अंशदान; और (ii) मजदूरी का 1.16 प्रतिशत की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से केन्द्र सरकार से प्राप्त 15000/-रुपये प्रतिमाह तक की राशि का अंशदान किया जाता है।

सरकार ने श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों / सुझावों पर आधारित कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसने दिनांक 20.02.2009 को अपनी 29वीं रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने पहली बार अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करते हुए दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को 1000/-रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया था । इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत पूर्ण कवरेज के लिए 01.09.2014 से मजदूरी सीमा को 6500/-रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15000/-रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था।

ईपीएस पेंशनभोगियों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ईपीएस, 1995 का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) का गठन किया था।

एचईएमसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार ने दिनांक 20.02.2020 को सा.का.नि. 132(अ) के माध्यम से अपने निर्णय को अधिसूचित किया है, जो दिनांक 25.09.2008 को अथवा उससे पूर्व ईपीएस, 1995 के पूर्ववर्ती पैरा 12क के अंतर्गत पेंशन के संराशीकरण का लाभ प्राप्त करने वाले वैसे सदस्यों के संबंध में ऐसे संराशीकरण की तिथि से 15 वर्षों की समाप्ति के पश्चात सामान्य पेंशन को बहाल करने के संबंध में है।

तथापि, समिति ने मासिक पेंशन को जीवन यापन सूचकांक की लागत के साथ सहबद्ध करने की कोई सिफारिश नहीं की थी क्योंकि यह ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा कराए गए मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि के अंतर्गत वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।

*****